

भारत सरकार  
जल संसाधन मंत्रालय

त्यौहार पेशगी की मंजूरी के लिये आवेदन पत्र

- टिप्पणी: 1. पेशगी केवल अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है, जिनका मूल वेतन 8,300/-रुपये से अधिक नहीं है ।  
2. स्वीकार्य पेशगी की अधिकतम राशि 1,500/-रुपये है । पेशगी वित्त वर्ष में केवल एक बार स्वीकार्य होगी ।  
3. अस्थाई सरकारी कर्मचारियों के आवेदन पत्र के साथ स्थाई सरकारी कर्मचारी द्वारा भरवा कर जमानत बंध पत्र लगाया जाना चाहिए ।  
4. आवेदक द्वारा पिछले अवसर पर ली गई त्यौहार पेशगी की बकाया राशि यदि कोई हो, का पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया जाना चाहिए ।

आवेदक का नाम:  
(स्पष्ट अक्षरों में)

2. पदनाम:
3. क्या स्थाई, स्थाईवत् अथवा अस्थाई हैं:
4. यदि अस्थाई हैं तो आवेदक किस पद पर स्थाई हैं उसका ब्यौरा दें:
5. वर्तमान मूल वेतन:
6. वह त्यौहार जिसके लिये पेशगी मांगी गई है:
7. आवेदन की गई पेशगी की राशि:
8. किशतों की संख्या :
9. यदि अस्थाई है तो जमानत बंध पत्र साथ लगाया गया है:
10. जमानत का ब्यौरा :
11. क्या आवेदक ने चालू वित्त वर्ष के दौरान कोई त्यौहार पेशगी ली है :
12. क्या पिछले अवसर पर ली गई त्यौहार पेशगी की पूरी तरह वसूली हो चुकी है :
13. मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दिये गये तथ्य मेरी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है ।

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर  
अनुभाग:

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारी ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान कोई त्यौहार पेशगी नहीं लिया है ।

रोकड अनुभाग:

प्रशासन अनुभाग :